फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सायल :– लाला के का.मु. बुधाराम वगैरह **बनाम** <u>गैर सायलान</u> :– शान्तिदेवी पत्नि चम्पालाल

रस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मु.नं. 92 / सन 2018

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18	वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 . के तहत इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गै.सा. की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण मे ख0नं0 678, 681, 675, 679, 680 कुल किता–5 कुल रकबा 115–02 बीघा भूमि आई हुई हैं। उक्त विवादित आराजी गे.सा. सं. 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में होने से बिना बंटवाड़ा करवाये किसी अजनबी व्यक्ति (भू–माफिया) को बैचान, बक्सीस, रहन वसीयत आदि नही करने व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील सायल बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायल पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त आराजी में जवाब पेश होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण मे ख0नं0 678, 681, 675, 679, 680 कुल किता–5 कुल रकबा 115–02 बीघा भूमि आई हुई हैं। उक्त विवादित आराजी में जवाब पेश होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायलान तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0 सा0 को जरिये नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्द दिनांक 29.06.2018 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो। SDO	356 08/5/18
26/6/18	वकीलान उप0। पत्रा0 राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। गै.सा.सं. 01 की ओर से वकील अर्जुनसिंह उदावत ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया, सा.सि. किया गया। उपस्थित वकीलान को सुना गया। लोक अदालत की भावना से वकील गै.सा. एवं वकील सायल ने कथन किया कि सायल के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी है, आदेश को पुख्ता किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। वकील सायल ने कथन किया कि उक्त आदेश को पुख्ता	Chhotar... 26.6.18

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किये जाने में कोई ऐतराज नहीं है। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को बाद निर्णय तक पुख्ता किये जाने का आदेश फरमावे। अतः पत्रावली का दस्तावेजात का मुआयना है अवलोकन किया गया। मजकूरः वकील प्रति. को उक्त आदेश को पुख्ता किये जाने में ऐतराज नहीं है। लिहाजा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 7/5/18 को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली कौन्सल मुताबिक हस्ब नम्बर से पेश हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर जावे हो। मूल वाद के साथ नत्थी हो। Sd/- SDO

Scanned by CamScanner